न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 99/2022

1 शंकर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह आयु 49 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 फुला देवी पत्नी सुग़न सिंह आयु 77 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 माया देवी पत्नी बाबूलाल आयु 60 साल जाति ब्राह्मण निवासी गोयल कॉलोनी महेश्वरी, तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
2 ईश्वर सिंह पुत्र जयराम आयु 58 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 उगम सिंह पुत्र जयराम सिंह आयु 52 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
4 मृतक गिरवर सिंह पुत्र जयराम सिंह
4/1 सुशीला कंवर पत्नी स्व गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
4/2 सीमा पुत्री स्व. गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
5 मृतक श्योबाई पत्नी स्व. जयराम सिंह
6 संग्राम सिंह पुत्र स्व. जयराम सिंह आयु 65 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8 राजस्थान राज्य सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी
दिनांक 03.06.2022 उपखण्ड अधिकारी बुहाना,
बउनवानी माया देवी बनाम ईश्वर सिंह
मु.नं. 121/2021

अपील संख्या 100/2022

1 शंकर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह आयु 49 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 फुला देवी पत्नी सुगन सिंह आयु 77 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 माया देवी पत्नी बाबूलाल आयु 60 साल जाति ब्राह्मण निवासी गोयल कॉलोनी महेश्वरी, तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

2 ईश्वर सिंह पुत्र जयराम आयु 58 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

3 उगम सिंह पुत्र जयराम सिंह आयु 52 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

4 मृतक गिरवर सिंह पुत्र जयराम सिंह

4/1 सुशीला कंवर पत्नी स्व गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

4/2 सीमा पुत्री स्व. गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

5 मृतक श्योबाई पत्नी स्व. जयराम सिंह

6 संग्राम सिंह पुत्र स्व. जयराम सिंह आयु 65 साल जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

7 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

8 राजस्थान राज्य सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम अपील विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक
30.06.2022 उपखण्ड अधिकारी बुहाना, बउनवानी
माया देवी बनाम ईश्वर सिंह मु.नं. 121/2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

4

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 121/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2022 व 30.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों के पक्षकार व विवादित भूमि समान होने निस्तारण एक ही आदेश किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वाद माया देवी ने ग्राम बरबड़ तहसील बुहाना की भूमि खसरा नम्बर 386, 397 के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 03.06.2022 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 30.06.2022 को अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से अपील संख्या 100/2022, 99/2022 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि माया देवी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना के यहां एक दावा बउनवानी माया देवी बनाम ईश्वर सिंह, इस आशय का किया कि उसका खेत खसरा नम्बर 393, 394, 395 के पश्चिम दिशा में खेत खसरा नम्बर 386 रकबा 2.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.53 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.37 हैक्टेयर स्थित ग्राम बरबड़ तहसील बुहाना में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

1001/3370 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वह अपने हक हिस्से पर काबिज है परन्तु भूमि खसरा नम्बर 393, 394, 395 के साथ लगती हुई उक्त काश्त की भूमि विभाजन में प्राप्त करना चाहती है। जिस पर दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को सूचना होने पर प्रतिवादी नम्बर 4 फुलादेवी व प्रतिवादी नम्बर 5 शंकर सिंह ने अपने उक्त दावा में पक्ष प्रस्तुत करना चाहा, जिस पर प्रतिवादी नम्बर 5 ने अपना वकील श्री दयाराम द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 03.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी बुहाना के अधिकारी की कार्यशैली के विरोध में बार ऐशियेसन बुहाना के वकीलों ने कार्य का बहिष्कार कर रखा था। जिस पर उक्त उपखण्ड अधिकारी के यहां दिनांक 03.06.2022 को ना तो अपीलान्ट/प्रतिवादी अथवा उनके वकील उपस्थित अदालत नहीं होने से उक्त मुकदमें में कानूनन इकतरफा आदेश पारित होना चाहिये था, किन्तु न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा खिन्न होकर उक्त मुकदमें में अपीलान्ट/प्रतिवादी की जवाबदेही बंद कर दी गई, जो कि न्यायोचित नहीं है। दिनांक 22.06.2022 जब अपीलान्ट/प्रतिवादी न्यायालय हाजा में गये तथाा अपने मुकदमें की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि दिनांक 03.06.2022 को अपीलान्ट के वकील हड़ताल की वजह से उपस्थित नहीं हुये तो अपीलान्ट/प्रतिवादी ने दिनांक 22.06.2022 को अपने वकील ओमप्रकाश डांगी द्वरा उक्त इकतरफा आदेश दिनांक 03.06.2022 को अपास्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये, परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी की जवाबदेही बंद कर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव के आदेश भी पारित कर दिये गये। दिनांक 30.06.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज यह कहकर फरमा दिया गया कि प्रतिवादी की जवाबदेही बंर की जा चुकी है तथा उसी रोज दिनांक 03.06. 2022 को उक्त उनवानी मुकदमें में अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में जो विभाजन प्रस्ताव आया उस आधार पर दिनांक 30.06.2022 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जो कि विधि एवं कानून के विरूद्ध है। अतः दोनों अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5/अपीलांट की ओर से दयाराम पटेल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था। इसके उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया न ही पैरवी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 4 व 5/अपीलांट के तामीली नोटिस संलग्न है। बावजूद तामील एवं उपस्थिति के प्रतिवादी अपीलांट द्वारा चाराजोही नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5/अपीलांट की ओर से दयाराम पटेल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था। इसके उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया न ही पैरवी की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 4 व 5/अपीलांट के तामीली नोटिस संलग्न है। बावजूद तामील एवं उपस्थिति के प्रतिवादी अपीलांट द्वारा चाराजोही नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि अपीलांट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक )
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर